Shri Hari Vishnu Kamath: Is it not a fact that in the infamous case of Walcott, which exposed the Government's security bare to the public eye in such a shamefaced manner, the inquiry committee which went into this disgraceful affair had made some definite recommendations with regard to security conditions at the airports that were lacking at that time; if so, have those recommendations been taken into consideration, and with what effect so far?

Shri Hathi: As I said, the report of the committee has not yet been received.

Shri Hari Vishnu Kamath: Even of that committee?

Shri Hathi This is a committee which was set up as a result of the Walcott incident. Perhaps he refers to the committee of the Transport Ministry, but I am talking of the committee of the Home Ministry.

Shri Hari Vishnu Kamath: That Committee also made some recommendations, I believe.

Finances of D.M.C. and N.D.M.C.

\+

*668. { **Shri Yashpal Singh:** / **Shri Rameshwar Tantia:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to set up a high power Commission to go into the finances of the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee;

(b) if so, when the Committee is likely to be set up, its composition and terms of reference; and

(c) the date by which the Commission has been asked to submit its reports?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). A copy of the Government of India Notification No. 1/3/65-Delhi, dated the 29th March, 1965, setting up the Commission of inquiry is laid on the Table of the House. [*Placed in library, see* No. LT-4107/65].

श्री यशपाल सिंह : कितने दिनों से ये शिकायतें आ रही हैं और इन शिकायतों की कुल तादाद कितनी है जो सरकार के सामने आई हैं?

श्री ल० ना० मिश्र : शिकायतों या उनकी तादाद की बात नहीं है । दिल्ली नगर निगम की आर्थिक हालत के बारे में जांच करने के लिए यह कमेटी बनाई गई है ।

श्री यशपाल सिंह : जो वहां अव्यवस्थायें हुई हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, जिस तरह से रुपये का गोलमाल किया गया है, उसके मुताल्लिक सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : रुपये के गोलमाल होने का सवाल नहीं है । कुछ दिनों से उनको यह शिकायत थी कि उनके साधनों से उनका खर्चा नहीं चलता है और उनको सरकार की तरफ से अधिक पैसा मिलना चाहिये । हमने कहा था कि वे अपने साधनों को बढ़ायें । इस सब चीज को देखने के लिए कमेटी बनाई गई है और वह सुझाव देगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि निगम के जो टैक्स हैं उन को वसूल करने में काफी विलम्ब हुआ है, इस का यह भी एक प्रमुख कारण है । और निगम के लिए जितनी धनराशि थी उस धन राशि से ज्यादा की योजनायें बनाई गई इस लिये ज्यादा तंगी आई ।

श्री ल० ना० मिश्र : यह बात सही है कि उन की जितनी आमदनी थी उस से ज्यादा खर्च वह कर डालते थे, और कुछ ऐसी बातें थीं जिन के लिए खर्च नहीं करना चाहिये था लेकिन उन मदों में भी वे खर्च

कर डालते थे। इस लिये उन की हालत खराब थी। इस की जांच करने के लिए कमेटी बनाई है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : आप जो कहते हैं उस बात को उन्होंने मान लिया। और आप क्या चाहते हैं।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि ट्रांस्पोर्ट बसें मंगाने के लिए निगम ने केन्द्र से जो रुपया लिया था वह पूरा खर्च हो गया है। ऐसा सुना गया है कि उन्होंने उस पर खर्च न करके उस रुपये को दूसरे काम में खर्च कर दिया है। क्या इस के बारे में कोई सूचना है।

श्री ल० ना० मिश्र : सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वे बसों के लिए रुपया लेते हैं।

अंग्रेजी को जारी रखने सम्बन्धी विधान

+

*669. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में से किन राज्यों ने राज्य की अतिरिक्त भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का कानून पास किया है ;

(ख) क्या ऐसा कानून बनाने का सुझाव केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा ऐसा सुझाव दिये जाने का मतलब इन राज्यों पर अंग्रेजी लादना नहीं है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्य की अतिरिक्त भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने लिये किसी भी राज्य ने कानन पास नहीं किया है।

(ख) जी, हीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मधु लिमये : इस बात के बारे में जवाब दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सुझाव नहीं दिया गया। अखबारों में मैं ने पढ़ा है कि सभी राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि वे वैकल्पिक रूप में अंग्रेजी का प्रयोग राज्य स्तर पर जारी रक्खें, और उसके लिये कानन बनायें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह समाचार गलत था। क्या मैं इस बात को मान लूं।

श्री हाथी : संविधान की जो धारा 345 है उस में जो लिखा हुआ है मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए पढ़ दूं। उस में है कि ऐसा कोई कानन बनाना जरूरी नहीं है अंग्रजी को कायम रखने के लिए :

"Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:

Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution."

If any law is required it is for the purpose of continuance of the English.

श्री मधु लिमये : श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस के बारे में राज्य सरकारों को हिदायत दी थी। अगर इस की सफाई